Telephone No.–05278&245957
05278&245957
Email-rmlauregistrar@gmail.com

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / सा0प्र0 / 510 / 2021 दिनांकः 16–08–2021

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनॉक 31 जुलाई, 2021 में लिए गए निर्णयानुसार क्रीड़ा–परिषद के संविधान में आंशिक संशोधन (अद्यतन संशोधित जुलाई, 2021) कर लिए गये हैं।

उक्त संविधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(उमा नाथ)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त संकायाध्यक्ष / समस्त विभागाध्यक्ष / अधिष्ठाता छात्र कल्याण / कुलानुशासक / समस्त निदेशक / समस्त समन्वयक / पुस्तकालयाध्यक्ष / प्राचार्य (वि0वि0 से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रोग्रामर ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न प्रस्ताव को समस्त महाविद्यालयों के कालेज लाग–इन तथा बेवसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
3. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी / कुलसचिव को वित्त अधिकारी / कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. पत्रावली।

(उमा नाथ)
कुलसचिव

क्रीड़ा–परिषद् का संविधान

अद्यतन संशोधित

जुलाई, 2021

क्रीड़ा–परिषद् का संविधान

परिषद् का नाम एवं पता–

परिषद् का नाम डॉ0राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय क्रीड़ा–परिषद्, अयोध्या होगा। परिषद् का मुख्यालय विश्वविद्यालय परिसर स्थित क्रीड़ा–परिषद् भवन में होगा। यहॉ परिषद् का अर्थ क्रीड़ा–परिषद् से तथा विश्वविद्यालय का अर्थ डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से होगा।

परिषद् के उद्देश्य–

1. विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयो के प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र एवं छात्राओं को खेलकूद के माध्यम से राष्ट्रीय उत्थान के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित करना।
2. खेलकूद जैसे चित्ताकर्षक माध्यम से छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना, खेलकूद के प्रति उनमें अभिरुचि पैदा करना तथा खेलकूद के स्तरोन्नयन के लिए सम्बन्धित क्रिया कलापों का संचालन करना।
3. अन्तर्महाविद्यालयीय, क्षेत्रीय–अन्तर्विश्वविद्यालयीय एवं अखिल भारतीय–अन्तर्विश्वविद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगितायें आयेाजित करना।
4. महाविद्यालयों से प्राप्त क्रीड़ा अशंदान, जो उसे विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त होगा, के द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यो की पूर्ति करना। आवश्यकता पड़ने पर परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय से अतिरिक्त आर्थिक सहयोग प्राप्त कर उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करना। यह भी सुनिश्चित करना कि क्रीड़ा–परिषद् के कोष से निर्गत धनराशि क्रीड़ा–सम्बन्धी क्रिया–कलापों व तत्सम्बन्धी विकास कार्यो पर ही व्यय हो।
5. विश्वविद्यालय खेलकूद का मैदान, बहुउद्देशीय हाल और स्टेडियम आदि का निर्माण कर उनके रख–रखाव की व्यवस्था करेगा तथा परिषद् क्रीड़ा सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करेगी।

परिषद् का गठन–

क्रीड़ा–परिषद् के गठन का प्रमुख दायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा। कुलपति महोदय परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त क्रीड़ा–परिषद् में एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक उप सचिव व बारह सदस्य कुलपति महोदय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। उपाध्यक्ष विश्वविद्यालय परिसर का कोई वरिष्ठ आचार्य होगा, जिसे कुलपति/अध्यक्ष महोदय उपयुक्त समझे। विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी परिषद् के पदेन कोषाध्यक्ष रहेंगे। बारह सदस्यों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव पदेन सदस्य रहेगें। सचिव क्रीड़ा–परिषद् शारीरिक शिक्षा का नियमित प्राध्यापक या राज्य स्तरीय/अन्तर्विश्वविद्यालयीय अथवा इससे

उच्च स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग का 8 वर्ष का अनुभव रखने वाला शिक्षक ही होगा। इसी प्रकार उप सचिव को भी 8 वर्ष का अनुभव होना भी अनिवार्य होगा।

सम्बद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर के प्राध्यापकों में से उपर्युक्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मनोनयन कुलपति महोदय इस प्रकार करेंगे कि यथा संभव अधिकतर जिलों एवं महाविद्यालयों को प्रतिनिधित्व मिल जाय। विश्वविद्यालय क्रीड़ा–परिषद् के पदाधिकारियों का चयन करते समय शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों, क्रीड़ा प्रभारियों व क्रीड़ा सम्बन्धी गतिविधियों से जुड़े शिक्षकों को वरीयता दी जायेगी। इसी प्रकार सदस्यों के मनोनयन में भी यथासम्भव शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों (नियमित व स्ववित्तपोषित) को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

कुलपति/अध्यक्ष महोदय क्रीड़ा–परिषद में बारह सदस्यों के अतिरिक्त दो ऐसे अतिथि सदस्यों का भी मनोनयन कर सकते है जो किसी महाविद्यालय से सम्बद्ध न हो किन्तु खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योग्यता एवं अनुभव रखते हो। इस प्रकार क्रीड़ा–परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों की कुल संख्या **20** होगी (अध्यक्ष **+** 4 पदाधिकारी **+** कुलसचिव, पदेन सदस्य **+** 12 सदस्य (कुलाधिपति एवं कुलपति द्वारा नामित एक–एक सदस्य जो कि कार्य परिषद् के सदस्य होंगे) **+** 2 अतिथि सदस्य।

परिषद् का कार्यकाल–

क्रीड़ा–परिषद् के पदाधिकारियों, सदस्यों सहित कार्यकारणी का कार्य–काल सामान्यतया दो सत्र (30 जून तक) का होगा। विशेष स्थिति में यदि कुलपति/अध्यक्ष महोदय चाहें तो परिषद के पदाधिकारियों के कार्यो की समीक्षा के बाद एक टर्म (दो वर्ष) का कार्य काल और बढ़ा सकते हैं। परिषद् का कार्य–काल समाप्त होने पर उपर्युक्त ढ़ंग से पुनः गठन किया जायेगा।

कुलपति/अध्यक्ष महोदय को यह भी अधिकार होगा कि यदि किसी भी पदाधिकारी/सचिव या सदस्य के कार्य से असन्तुष्ट होंगे तो उसे टर्म पूर्ण करने से पूर्व ही हटाया जा सकता है।

परिषद् के कार्य

(अ) क्रीड़ा–परिषद् सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के खेलकूद सम्बन्धी किसी भी व्यवस्था के प्रश्न पर अपना परामर्श एवं निर्देश देगी। यह अन्तर्महाविद्यालयीय खेल कूद प्रतियोगितायें आयोजित करेगी, उसकी पूरी देख–रेख करेगी और एसोशियन आफ इन्डियन यूनिवर्सिटीज (स्पोर्ट्स डिवीजन) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक स्पोर्ट्स कैलेण्डर के आधार पर अन्तर्महाविद्यालयीय स्पोर्ट्स कैलेण्डर तैयार करेगी।

(ब) यदि एसोशियन आफ इन्डियन यूनिवर्सिटीज (स्पोर्ट्स डिवीजन) अवसर दे, तो अनुकूल परिस्थितियों में क्रीड़ा–परिषद् क्षेत्रीय–अन्तर्विश्वविद्यालयीय एवं अखिल भारतीय–अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करेगी। ऐसे अवसरों पर परिषद् स्मारिका भी प्रकाशित करेगी।

(स) परिषद् अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय की विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों के चयन एवं गठन की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी करेगी।

(द) अन्तर्महाविद्यालयीय, क्षेत्रीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय, अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय, खेलों इण्डिया एवं विश्व विश्वविद्यालयीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनों सहित वार्षिक स्तर पर क्रीड़ा सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान करेगी।

(य) क्रीड़ा–परिषद् में जहॉ कही भी कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, कुलपति महोदय को उक्त के सम्बन्ध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा एवं सभी के लिए मान्य होगा।

परिषद् पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य–

अध्यक्षः–

1. कुलपति, क्रीड़ा–परिषद् के पदेन अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अधिकारी होंगे, जो क्रीड़ा–परिषद के संविधान के अन्तर्गत खेल कूद सम्बन्धी सभी क्रिया–कलापों पर नियंत्रण रखेंगे एवं उसका निरीक्षण करेंगे।
2. क्रीड़ा–परिषद के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मनोनयन करेंगे एवं क्रीड़ा–परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे एवं अपना दिशा निर्देश प्रदान करेगें।
3. सभी भुगतानों की स्वीकृति कुलपति/अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।
4. क्रीड़ा–परिषद् की बैठक के दौरान मतदान की आवश्यकता पड़ने पर टाई की स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्षः–

1. क्रीड़ा–परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता (कुलपति/अध्यक्ष महोदय के अनुपस्थिति में या मौखिक निर्देशानुसार) तथा परिषद् द्वारा पारित नियमों को ध्यान में रखते हुए परिषद् के सभी क्रिया–कलापों का निरीक्षण करेंगे।
2. क्रीड़ा–परिषद् के विभिन्न समितियों की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष, क्रीड़ा–परिषद् द्वारा की जायेगी।
3. उपाध्यक्ष एवं सचिव पारस्परिक विचार–विमर्श कर वार्षिक बजट परिषद् के पटल पर रखेंगे एवं परिषद् से पारित करायेंगे।
4. समस्त प्रशासनिक व वित्तीय प्रकरणों पर अपनी संस्तुति प्रदान करेगा।
5. टी0ए0/डी0ए0 बिल, मानदेय सम्बन्धी देयक बिल एवं अन्य पारश्रमिक (मानदेय) बिल पर उपाध्यक्ष की स्वीकृति के पश्चात ही भुगतान होगा।

सचिवः–

1. सचिव, क्रीड़ा–परिषद् का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा।
2. सचिव, क्रीड़ा–परिषद् की कार्यवाहियों से सम्बन्धित सभी पत्रावलियों तथा विवरणों का लेखा–जोखा रखेगा।
3. अध्यक्ष की राय से, सचिव, क्रीड़ा–परिषद् की बैठक बुलायेगा।
4. परिषद् द्वारा लिए गए समस्त निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा।
5. क्रीड़ा–परिषद् की ओर से सभी प्रकार का पत्र व्यवहार करेगा। परिषद द्वारा स्वीकृत सभी निर्णयों पर परिषद् की ओर से हस्ताक्षर करेगा।
6. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, क्रीड़ा–परिषद् के अनुमोदन उपरान्त क्रीड़ा–परिषद् द्वारा पारित समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय के सापेक्ष कार्यालय ज्ञाप/अधिसूचना/आदेश आदि पर सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।
7. कुलपति/अध्यक्ष की पूर्वानुमति से आकस्मिक व्यय हेतु सचिव अपने पास रुपया 10,000/– (दस हजार) रख सकेगा। सचिव द्वारा इस धनराशि का उपयोग नित्य–प्रति के आकस्मिक व्यय, भुगतानों एवं परिषद् की बैठकों के आयोजन पर किया जायेगा। इस आकस्मिक धनराशि को नियमानुसार समायोजित करने के पश्चात वह पुनः इतनी ही धनराशि को प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

नोट– सचिव, क्रीड़ा–परिषद् को कार्यालय के दैनिक कार्यों के सम्पादन हेतु अपने महाविद्यालय से आने जाने हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं क्रीड़ा–परिषद् नियमानुसार रू 750/– प्रतिमाह मानदेय देय होगा। ***(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 11–09–2008 एवं 11–09–2009)***

उप सचिवः–

सचिव द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वाह उप सचिव करेगा। सचिव की अनुपस्थिति में उप सचिव, सचिव की भूमिका का निर्वाह करेगा।

कोषाध्यक्षः–

1. विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी परिषद् के पदेन कोषाध्यक्ष होंगे।
2. महाविद्यालयों से प्राप्त अंशदान एवं अन्य सूत्रों से प्राप्त अनुदान के रुप में प्राप्त धनराशि का लेखा–जोखा रखेंगे।
3. अध्यक्ष/कुलपति की स्वीकृति के आधार पर कोषाध्यक्ष भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।
4. क्रीड़ा–परिषद् के समस्त वित्तीय विवरणों का प्रबन्धन कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

सदस्य गणः–

कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत सभी स्तरों के सदस्य गण क्रीड़ा–परिषद् की बैठकों में प्रश्नगत बिंदुओं पर अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे। मतदान की स्थिति उत्पन्न होने पर अतिथि सदस्यों के अतिरिक्त सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा। बैठक में भाग लेने कि लिए बुलाये जाने पर सदस्यों को मार्ग–व्यय एवं दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय के नियमानुसार परिषद् से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

परिषद् की बैठक :–

सत्रारम्भ एवं सत्रान्त में क्रीड़ा–परिषद् की वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होंगी। आकस्मिक स्थिति में बैठके कभी भी बुलाई जा सकती है। कुलपति सभी बैठकों में उपस्थित रहकर नेतृत्व प्रदान करेंगे। बैठक के कोरम हेतु 11 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

परिषद् की इकाइयों की सदस्यता एवं अंशदानः–

विश्वविद्यालय का आवासीय परिसर क्रीड़ा–परिषद् की एक इकाई होगी। परिसर व सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी संस्थागत छात्र एवं छात्रायें अपने परिसर/महाविद्यालय की इकाइयों के माध्यम से क्रीड़ा–परिषद् के साधारण सदस्य होंगे। भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी परिषद् के सदस्य नहीं माने जायेंगे। संस्थागत छात्रों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति, किसी भी महाविद्यालय का प्राध्यापक, अभिभावक, आधिकारी एवं विश्वविद्यालय का कर्मचारी अथवा अधिकारी अन्तर्महाविद्यालयीय एव अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकेगा।

समस्त संस्थागत छात्र एवं छात्राओं से परिसर एवं महाविद्यालयों द्वारा रु0 200/–(दो सो रुपये मात्र) वार्षिक–क्रीड़ा–शुल्क प्रवेश के समय जमा कराया जायेगा, जिसमें महाविद्यालय एवं परिसर रू 100/– (सौ रुपये मात्र) अपने पास रखेगा जिससे अपने महाविद्यालय व परिसर की खेलकूद गतिविधियॉ सम्पन्न करायेगा। सम्बद्ध महाविद्यालय एवं परिसर परीक्षा फार्म जमा करते समय विश्वविद्यालय में जमा की जाने वाली समस्त शुल्क (परीक्षा, नामांकन, उपाधि आदि शुल्क) के साथ क्रीड़ा शुल्क रु0 100/–(सौ रुपया मात्र) प्रति छात्र की दर से सामान्य खाते में जमा करेंगे। वित्त अधिकारी महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना क्रीड़ा शुल्क के कोई फार्म जमा न होने पाय। समस्त नियमित छात्रों के क्रीड़ा शुल्क को वित्त अधिकारी महोदय क्रीड़ा–परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रति छात्र रू 100–00 0 (सौ रूपया मात्र) की दर से विश्वविद्यालय के सामान्य खाते से क्रीड़ा–परिषद् कोष में स्थानान्तरित करायेंगे।

महाविद्यालय अपने यहॉ रखे रू 100–00 (सौ रूपया मात्र) प्रति छात्र के सम्पूर्ण धनराशि का व्यय विवरण क्रीड़ा–परिषद् को सत्र के अन्तिम माह तक उपलब्ध करायेगा। *(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 28–05–2018)*

वित्त एवं लेखा जोखा –

क्रीड़ा–परिषद् किसी बैंक में एक बचत खाता खोलेगी, जो विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी (परिषद् के पदेन कोषाध्यक्ष) द्वारा संचालित होगा। इस क्रीड़ा–कोष में सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय आवासीय इकाई से प्राप्त अंशदान की धनराशि जमा की जायेगी। क्रीड़ा–परिषद के लिए अन्य स्त्रोत से प्राप्त अनुदान या सहायता राशि भी इसी कोष में जाम की जायेगी।

क्रीड़ा–परिषद् द्वारा स्वीकृत वार्षिक–बजट के आधार पर सचिव और उपाध्यक्ष की संस्तुति एवं अध्यक्ष (कुलपति) की स्वीकृति के पश्चात धनराशि निकालने, आय की धनराशि जमा करने, प्रस्तुत बिलों की जॉच एवं भुगतान तथा आय–व्यय का लेखा–जोखा को रखने का कार्य क्रीड़ा–परिषद् के पदेन कोषाध्यक्ष (वित्त अधिकारी) करेंगे।

(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 12–11–2019)

क्रीड़ा–परिषद् का लेखा सम्बन्धी कार्य देख रहे लिपिक को क्रीड़ा–परिषद् मद से रू 1000–00 मासिक मानदेय देय होगा। RTGS/NEFT का कार्य देख रहे कम्प्यूटर आपरेटर या कम्प्यूटर कार्य में दक्ष कर्मचारी को भी रू 1000–00 मासिक मानदेय देय होगा।

आय–व्यय का सम्पूर्ण विवरण प्रति वर्ष 30 जून तक सभी सम्बद्ध इकाइयों को प्रेषित कर दिया जायेगा। सत्रान्त में क्रीड़ा–परिषद अपने आय–व्यय का आडिट (संप्रेक्षण) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी (परिषद् के पदेन कोषाध्यक्ष) के माध्यम से कराएगा।

खिलाडियों, टीम मैनेजरों, टीम कोचों, पर्यवेक्षकों, चयनकर्त्ताओं, आफिशियलों, निर्णायकों कर्मचारियों और खेल विशेषज्ञों आदि को दिये जाने वाले दैनिक भत्ता, टी0ए0/डी0ए0 एवं मानदेय (पारिश्रमिक) का भुगतान इलेट्रानिक्स माध्यम करना– *(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 12–11–2019)*

खिलाडियों, टीम मैनेजरों, टीम कोचों, पर्यवेक्षकों, चयनकर्त्ताओं, आफिशियलों, निर्णायकों, खेल विशेषज्ञों तथा क्रीड़ा सम्बन्धी किसी प्रकार कार्य देख रहे किसी व्यक्ति विशेष एवं प्रशिक्षण शिविर हेतु चयनित खिलाड़ियों को दिये जाने वाला दैनिक भत्ता, टी0ए0/डी0ए0 एवं मानदेय (पारिश्रमिक) या अन्य किसी प्रकार का भुगतान चेक द्वारा न करके केवल इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से यथा RTGS/NEFT से किया जायेगा। इसके लिए कोषाध्यक्ष/वित्त अधिकारी के पर्यवेक्षण में सचिव, क्रीड़ा–परिषद् के पद नाम से एक उप खाता खोला जायेगा जो सिर्फ इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से भुगतान हेतु कार्य के लिए होगा। सचिव, क्रीड़ा–परिषद् द्वारा इस प्रकार के भुगतान हेतु एक अनुमानित धनराशि की मांग अध्यक्ष, क्रीड़ा–परिषद् से की जायेगी, धनराशि स्वीकृति उपरान्त उक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जिसे समय समय पर

तत्कालीन प्रतिभागियो और अन्य सम्बन्धित के खाते में भेजी जायेगी। सत्र के अन्त में सचिव, क्रीड़ा–परिषद् द्वारा उक्त धनराशि का हिसाब कोषाध्यक्ष को निश्चित तौर पर देना होगा।

क्रीड़ा–परिषद् अनुमानित आय के आधार पर निम्नलिखित व्यय मदों को ध्यान में रख कर अपना वार्षिक–बजट प्रस्तुत करेगी–

1. अन्तर्महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजक महाविद्यालय को दी जाने वाली सहायता धनराशि।
2. अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीमों को भेजने पर आने वाला व्यय।
3. क्रीड़ा–परिषद् के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का मार्ग व्यय एवं दैनिक भत्ता।
4. विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं टीम मैनेजरों को देय विभिन्न भत्ते एवं पारिश्रमिक (मानदेय)।
5. भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा सौंपे गये क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन पर होने वाला व्यय।
6. खेलकूद के आवश्यक सामानों की खरीद पर हाने वाला व्यय।
7. खिलाड़ियों के लिए खेल वस्त्र (किट) एवं ट्रैक सूट की खरीद पर होने वाला व्यय।
8. परिषद्/ समितियों की बैठकों में जलपान की व्यवस्था पर खर्च।
9. खिलाड़ियों को पुरस्कार देने हेतु सामग्रियों की खरीद पर व्यय।
10. किसी प्रतियोगिता के आयोजन पर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के मार्ग व्यय, दैनिक भत्ता एवं मानदेय पर होने वाला व्यय।
11. विश्वविद्यालय की विभिन्न टीमों के प्रशिक्षण पर होने वाला खर्च।
12. क्रीड़ा–परिषद् कार्यालय के स्टेशनरी आदि पर होने वाला खर्च।
13. अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलकूद संघ, नई दिल्ली का सम्बद्धीकरण शुल्क।
14. क्रीड़ा–परिषद् की पूर्व अनुमति के आधार पर खेलकूद सम्बन्धी कोई भी व्यय।
15. क्रीड़ा–परिषद् कार्यालय में कार्यरत संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन पर व्यय।
16. क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय अथवा अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय, खेलों इण्डिया एवं विश्व विश्वविद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों, टीम मैनेजर एवं कोच को पुरस्कार स्वरूप दिए जाने वाली नकद धनराशि सम्बन्धी व्यय।
17. अयोध्या हॉफ मैराथन पर होने वाला व्यय।
18. आवासीय परिसर के खाते को निल न किया जाए और इसमें लगभग रू 1,00,000–00 (एक लाख रूपया मात्र) की धनराशि अवश्य रखी जाए विशेष परिस्थितियों में क्रीड़ा–परिषद् से रू 5,00,000–00 (पॉच लाख रूपया मात्र) तक की धनराशि आवासीय परिसर द्वारा आहरित की जा सकती है।

(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 12–11–2019)

परिषद् से सम्बद्ध इकाइयों को निर्देश

क्रीड़ा–परिषद् की प्रत्येक इकाई अपने यहॉ एक खेलकूद–परिषद् का गठन करेगी, जिसका संविधान महाविद्यालय तथा आवासीय इकाई की सीमाओं का ध्यान रखते हुए यथासंभव उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत नियमों के आधार पर होगा। सभी इकाईयॉ अपने यहॉ की खेल–निधि से खेलकूद विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और प्रभारी, खेलकूद विभाग को पारिश्रमिक अपने बजट के अनुसार दे सकती है।

अन्तर्महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगितायें

क्रीड़ा–परिषद् द्वारा निर्धारित स्पोर्ट्स कैलेण्डर के आधार पर जिस इकाई को जिन अन्तर्महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन का दायित्व सौंपा जायेगा, वह प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाली टीमों के ठहरने की व्यवस्था करेगा। इस इकाई का प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा/प्रभारी–प्राध्यापक उक्त प्रतियोगिता के आयोजन सचिव के रुप में कार्य करेगा । उक्त प्रतियोगिता के आयोजन हेतु क्रीड़ा–परिषद् निश्चित आंशिक धनराशि सहायता के रुप में देगा । आयोजन –सचिव उक्त प्रतियोगिता सम्बन्धी सभी पत्र – व्यवहार करेगा । सम्बद्ध इकाइयों द्वारा प्रेषित उनके सभी खिलाड़ियों के योग्यता प्रमाण–पत्र एवं जॉच–पत्र एकत्रित कर पर्यवेक्षकों की सहायता से परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर उसकी जॉच करेगा।

अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में निर्णायक क्रीड़ा–परिषद् द्वारा नियुक्त किये जायेंगे जिनका दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता तथा मानदेय नियमानुसार क्रीड़ा–परिषद् द्वारा दिया जायेगा।

जो अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगितायें जैसे एथलेटिक्स और क्रिकेट जो दो से ज्यादा दिनों तक चले उनमें क्रीड़ा–परिषद् की ओर से भेजे जाने वाले निर्णायकों, चयनकर्त्ताओं तथा पर्यवेक्षकों के ठहरने का खर्च भी क्रीड़ा–परिषद् द्वारा दिया जायेगा।

आयोजन सचिव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में प्रतियोगिता के आयोजन हेतु टाई (फिक्सचर) डालकर सभी प्रतिस्पर्धी इकाइयों को सूचना प्रेषित करेगा। क्रीड़ा–परिषद् द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अथवा पर्यवेक्षकों के माध्यम से सभी प्रतिस्पर्धियों को प्रतियोगिता के तत्काल बाद प्रमाण–पत्र दिलाने की व्यवस्था करेगा।

सम्बद्ध सभी इकाइयों के प्राचार्य अपने महाविद्यालय से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से सम्बन्धित सभी आवश्यक सूचनायें, जो योग्यता–प्रपत्र (इलिजीबिल्टी प्रोफार्मा) पर मांगी जाएगी, हस्ताक्षरित कर प्रेषित करेंगे। योग्यता–प्रपत्र में खिलाड़ियों के नाम तथा अन्य सूचनायें स्पष्ट अक्षरों में अंग्रेजी में भरे होने चाहिए। किसी अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में यदि तीन से कम टीमें सम्मिलित होती हैं तो उसे निरस्त माना जायेगा, उस खेल के विश्वविद्यालयीय टीम का चयन ट्रायल के आधार पर कर लिया जायेगा। विभिन्न

अन्तर्महाविद्यालयीय एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में क्रीड़ा–परिषद् की ओर से दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र भी अंग्रेजी में टाइप कर दिये जायेंगे।

(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 26–10–18)

यदि कोई महाविद्यालय स्पोर्ट्स कैलेण्डर में सम्मिलित किसी खेल को कराने हेतु आवेदन नहीं करता है या किसी कारणवश कोई महाविद्यालय उस प्रतियोगिता को नहीं काराता है तो उसे क्रीड़ा–परिषद् अपने मद से सम्पूर्ण प्रतियोगिता या ट्रायल विश्वविद्यालय परिसर में करा सकती है।

अयोध्या हॉफ मैराथन– अयोध्या हॉफ मैराथन क्रीड़ा–परिषद् की एक खेल प्रतियोगिता होगी, जिसका आयोजन प्रति वर्ष अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुमति से किया जायेगा।

प्रतियोगिताओं हेतु खिलाड़ियों की अर्हतायें

1. वे ही खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किसी पाठ्यक्रम के नियमित छात्र होंगे।
2. वे ही खिलाड़ी प्रतियोगिताआं में भाग ले सकेंगे, जिनके पास वर्तमान सत्र का नवीनतम फोटोग्राफ युक्त आई कार्ड हो जो अनिवार्य रूप से सिर्फ प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित हो।
3. भाग लेने वाले खिलाड़ी के पास वर्तमान सत्र की शुल्क रसीद हो।
4. कहीं नौकरी न कर रहा हो।
5. अन्य नियम AIU के स्पोर्ट्स डिविजन द्वारा निर्गत इलिजीबिल्टी रूल्स के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय टीमों का चयन

किसी भी खेल से सम्बन्धित विश्वविद्यालय टीम का चयन एक चयन समिति करेगी। क्रीड़ा–परिषद् के सचिव/उप सचिव के अतिरिक्त इस चयन समिति में दो चयनकर्त्ता सम्मिलित होंगे (प्रतियोगिता के दौरान सचिव/उप सचिव की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होंगी)। चयनकर्ताओं की नियुक्ति परिषद् के सचिव द्वारा की जाएगी। यह चयन समिति ही उत्पन्न विवादों के निपटारें के लिए ट्रिव्यूनल का भी दायित्व निभायेगी।

प्रतियोगिता में खेल का अच्छा प्रदर्शन का पूर्वानुभव और आद्योपरान्त अनुशासित आचरण किसी टीम के खिलाड़ियों के चयन का आधार होगा। टीम खेलों में यदि कोई इकाई पूरी टीम नहीं भेज पाती है, तो अपने सबसे अच्छे कुछ खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय टीम में चयन हेतु अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं के दौरान भेज सकती है। चयन हेतु आए इस प्रकार के खिलाड़ियों के खेल का प्रदर्शन चयन समिति प्रतियोगिताओं के दौरान देखेगी और उपयुक्त पाए जाने पर इनमें से भी योग्य खिलाड़ियों को विश्वविद्यलयीय

टीम के लिए चुन सकती है। विश्वविद्यालय टीम का चयन मुख्यतः अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के खेल के प्रदर्शन के आधार पर होगा।

पर्यवेक्षकों/चयनकर्ताओं की रिपोर्ट पर या किसी कारणवश किसी खेल अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता का आयोजन समय पर न हो पाने के कारण क्रीड़ा–परिषद् उपयुक्त स्थान पर खिलाड़ियों को बुलाकर पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में फाइनल–सेलेक्शन–ट्रायल आयोजित कर किसी खेल के लिए विश्वविद्यालय टीम का चयन करवा सकती है।

कप्तान/उपकप्तान का चयन

कप्तान/उपकप्तान का चयन करते समय चयन समिति खिलाड़ियों के उत्तम खेल, अनुशासन खेल सम्बन्धी वरिष्ठता और अनुभव को प्राथमिकता देगी। एक से अधिक समान अर्हताओं के दावेदारों की उपस्थिति में अन्य अर्हताओं के साथ–साथ उनके उम्र और कक्षा के आधार पर चयन किया जायेगा।

चयनकर्ताओं की नियुक्ति एवं दायित्व

अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं की शुचिता और निष्पक्षता बनाये रखने के लिए अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में उपाध्यक्ष की अनुमति से सचिव के माध्यम से क्रीड़ा–परिषद् दो चयनकर्त्ताओं की नियुक्ति करेगी। चयनकर्ता सम्बद्ध महाविद्यालयों/ परिसर का शारीरिक शिक्षा का अनुभवी प्राध्यापक अथवा खेलकूद जुड़ा अनुभवी प्राध्यापक अथवा राष्ट्रीय/राज्य स्तर का खिलाड़ी अथवा NIS डिप्लोमाधारी होगा।

चयनकर्त्ताओं के निम्नलिखित दायित्व होंगें–

1. क्रीड़ा–परिषद् द्वारा पारित नियमों के अन्तर्गत प्रतियोगिता को संचालित करवाना, जिससे प्रतियोगिता की शुचिता सुनिश्चित हो सके एवं निर्णयों में पक्षपात या नियमों का उल्लंघन न होने पाये।
2. विश्वविद्यालय टीम का निष्पक्ष रूप से चयन करना तथा इसकी गोपनीयता बनाये रखना।
3. आयोजन सचिव के साथ मिलकर खिलाड़ियों का योग्यता प्रपत्र जॉचना तथा खिलाड़ियों में खेलकूद की भावना व अनुशासन बनाये रखना।
4. पर्यवेक्षक के सहयोग से उत्पन्न विवादों का तत्काल नियमानुसार तटस्थ निर्णय करना।

पर्यवेक्षक

सभी अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियागिताओं में उपाध्यक्ष, क्रीड़ा–परिषद् द्वारा नामित शारीरिक शिक्षा विभाग का एक पर्यवेक्षक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे जो प्रतियोगिता के दौरान उत्पन्न विवाद की स्थिति में

अपनी विस्तृत एवं गोपनीय रिपोर्ट उपाध्यक्ष, क्रीड़ा–परिषद को प्रेषित करेंगे। उपाध्यक्ष, क्रीड़ा–परिषद् द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में क्रीड़ा–परिषद् के सदस्यों को वरीयता दी जायेगी।

पर्यवेक्षक का दायित्व

1. चयनकर्ताओं के सहयोग से उत्पन्न विवादों का तत्काल नियमानुसार तटस्थ निर्णय करना।
2. प्रतियोगिता आयोजन के सम्बन्ध में अपने विस्तृत रिपोर्ट सचिव, क्रीड़ा–परिषद् को प्रस्तुत करना जिसमें भाग लेने वाली टीमों/खिलाड़ियों के नाम तथा विजता–उपविजेता टीमों/ खिलाड़ियों के नाम का स्पष्ट उल्लेख हो।
3. आयोजन सचिव से विश्वविद्यालय टीम के चयन का प्रपत्र तथा आपत्ति–याचिका–शुल्क (प्रोटेस्ट फी) यदि काई हो, लेकर क्रीड़ा–परिषद् के सचिव पास स्वतः या पंजीकृत डाक से भेजना (डाक व्यय का भुगतान परिषद् करेगी)।

न्याय समिति (ट्रिब्युनल)

अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं के दौरान उत्पन्न सभी विवादों का तात्कालिक निर्णय दोनों चयनकर्ताओं, पर्यवेक्षक एवं आयोजन सचिव तथा सचिव, क्रीड़ा–परिषद् (यदि प्रतियोगिता के दौरान उपस्थित हों तो) को मिलाकर बने एक ट्रिब्युनल द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा। किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने के लिए केवल टीम मैनेजर ही अधिकृत होंगे। आपत्ति लिखित रूप में आपत्ति शुल्क रू 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) के साथ जमा की जाएगी। आपत्ति शुल्क के अभाव में आपत्ति पत्र का कोई वैधानिक स्वरूप नहीं होगा तथा वह स्वीकार्य नहीं होगी। किसी इकाई के खिलाड़ी द्वारा की गयी आपत्ति पर अथवा प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद की गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगाा। न्याय समिति के निर्णय पर पुनर्विचार का अधिकार क्रीड़ा–परिषद् की तकनीकी समिति को ही होगा।

सलाहकार/तकनीकी–समिति

क्रीड़ा–परिषद् की विभिन्न प्रतियोतिाओं से सम्बन्धित समस्यों के निस्तारण व खेलों के विकास हेतु सुझाव प्रदान करने के लिए एक 5 सदस्यीय सलाहकार/तकनीकी–समिति होगी। उपाध्यक्ष, क्रीड़ा–परिषद् के संयोजकत्व में इस समिति के चार अन्य सदस्यों में एक राष्ट्रीय स्तर के कोच, एक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, क्षेत्रीय/ जिला क्रीड़ा–अधिकारी तथा एक महाविद्यालय सदस्य होंगे।

खिलाड़ियों और टीम मैनेजर का यात्रा एवं दैनिक भत्ता (सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए)

अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रत्येक इकाई अपनी टीम के खिलाड़ियों एवं टीम मैनेजरों के टी0ए0/डी0ए0 एवं यातायात सुविधा उपलब्ध कराएगी। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ते के रूप में रू 300/– (तीन सौ रूपये मात्र) प्रतिदिन तथा उपलब्ध यातायात सुविधा हेतु वास्तविक किराया देय होगा। मैनेजर को पर्यवेक्षक की भॉति यात्रा–भत्ता एवं अन्य व्यय सम्बन्धित इकाइयों द्वारा देय होगा।

अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, मैनेजर एवं कोच आदि के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता

अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, टीम मैनेजर एवं कोच को क्रीड़ा–परिषद् द्वारा क्रीड़ा–परिषद् कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के दिन से टीम के वापस आने के दिन तक दैनिक भत्ता व मानदेय दिया जायेगा। छात्रों के लिए प्रतिदिन रू 600–00 (छः सौ रूपये मात्र) दैनिक भत्ता प्रदान किया जायेगा। ***(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 26–10–2017)*** टीम कोच व टीम मैनेजर के लिए मानदेय रू 750–00 (सात सौ पचास रूपये मात्र) प्रतिदिन देय होगा। ***(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 26–10–2018)*** खिलाड़ियों, टीम मैनेजर और कोच को क्रीड़ा–परिषद् कार्यालय मे सायं 3 बजे तक बुलाया जाता है तो उनसब को उस दिन का पूरा दैनिक भत्ता देय होगा। ***(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 12–11–2019)*** टीम मैनेजर एवं टीम कोच को अपनी निवास स्थान से विश्वविद्यालय आने का किराया भाड़ा और डी0ए0 भी देय होगा। विश्वविद्यालय से आयोजक विश्वविद्यालय तक टीम ले जाने एवं आने तक के दिनों तक का डी0ए0, अनुषांगिक एवं मानदेय देय होगा। मैच समाप्ति के एक दिन बाद वापसी हेतु प्रस्थान अनिवार्य होगा। खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय परिसर से गन्तव्य स्थान तक ले जाने व वापस लाने की व्यवस्था क्रीड़ा–परिषद्/टीम मैनेजर द्वारा की जायेगी, जिसके लिए रिक्शा, टैम्पो, टैक्सी, रेलगाड़ी या बस का किराया देय होगा। खिलाड़ियों को रेलवे के स्लीपर क्लास में यात्रा करने की सुविधा होगी। क्रीड़ा–परिषद् रेलवे कन्सेशन, टिकट और आरक्षण की व्यवस्था करेगा (यह सुविधा उपलब्धता पर निर्भर करेगी)। टीम मैनेजरों, पर्यवेक्षकों और कोच को टी0ए0/डी0ए0 और मानदेय क्रीड़ा–परिषद् से नियमानुसार प्राप्त होगा। क्रीड़ा–परिषद् कर्मचारियों से यदि अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में टीम मैनेजर या अन्य कार्य लिया जाता है तो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को क्रमशः रू 500–00 और 300–00 मानदेय प्रतिदिन के दर से देय होगा, टी0ए0/डी0ए0 विश्वविद्यालय नियमानुसार दिया जायेगा।

भारत सरकार के खेल मन्त्रालय द्वारा आयोजित खेलो इण्डिया प्रतियोगिता जिसमें अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन AIU द्वारा किया जाता है, में जाने वाले टीम मैनेजर, कोच एवं कर्मचारियों को अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार निर्धारित टी0ए0/डी0ए0 एवं क्रीड़ा–परिषद द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों को टीम मैनेजर एवं टीम कोच या अन्य किसी खेल सम्बन्धी कार्य लेने पर उनको वही डी0ए0 देय होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन कार्य एवं अन्य कार्य में आये स्ववित्त पोषित शिक्षकों को देय होता है।

अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं को सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक, चयनकर्त्ता, आफिशियल, निर्णायक, सचिव एवं कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता

(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 26–10–2018)

अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताये सम्पन्न कराने हेतु क्रीड़ा–परिषद् द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, चयनकर्त्ता, आफिशियल, निर्णायक, सचिव को रू 750–00 (सात सौ पचास रूपया मात्र) प्रतिदिन के दर से मानदेय (पारिश्रमिक) देय होगा एवं इसी कार्य में लगायें गये तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रू 500–00 (पॉच सौ रूपया मात्र) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू 300–00 (तीन सौ रूपया मात्र) प्रतिदिन के दर से मानदेय दिया जायेगा। प्रतियोगिता सम्पन्न कराने जाने पर निवास स्थान से आयोजक महाविद्यालय तक जाने व आने हेतु टी0ए0/डी0ए0 विश्वविद्यालय नियमानुसार देय होगा।

अन्तर्महाविद्यालयीय और अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को दिये जाने वाले खेलकूद प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत पदाधिकारी–

अन्तर्महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को खेल के अनुसार विजेता/उपविजेता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं प्रतिभागिता का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा। ट्रायल में आये हुए प्रतिभागियों को प्रतिभागिता का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा। क्रीड़ा–परिषद द्वारा अन्तर्महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदान किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर सचिव और उपाध्यक्ष हस्ताक्षर हेतु अधिकृत होंगे।

उत्तरी क्षेत्र अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को खेल के अनुसार विजेता/उपविजेता एवं प्रतिभागिता का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा। क्रीड़ा–परिषद द्वारा उत्तरी क्षेत्र अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदान किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर सचिव, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष (कुलपति) हस्ताक्षर हेतु अधिकृत होंगे।

अखिल भारतीय एवं अन्तर क्षेत्रीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को खेल के अनुसार विजेता/उपविजेता एवं प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त खेलकूद प्रमाण पत्र AIU से प्राप्त होता है जिसे आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग किये हुए

खिलाड़ियों को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र क्रीड़ा–परिषद् द्वारा प्रदान किया जायेगा जिस पर सचिव, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष (कुलपति) हस्ताक्षर हेतु अधिकृत होंगे।

उपर्युक्त सभी प्रकार के प्रोविजनल खेलकूद प्रमाण–पत्रों पर सचिव, क्रीड़ा–परिषद् हस्ताक्षर हेतु अधिकृत होंगे।

विश्वविद्यालयीय टीम में चयनित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविर हेतु निर्धारित भत्ता एवं प्रशिक्षण शिविर में कार्यरत टीम मैनेजर एवं टीम प्रशिक्षक हेतु निर्धारित भत्ता एवं मानदेय–

(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 26–10–2017 एवं 26–10–2018)

अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता हेतु चयनित विश्वविद्यालयीय टीम का प्रशिक्षण शिविर प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले लगाया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों को प्रतिदिन रू 300/– (तीन सौ रूपया मात्र) के दर से दैनिक भत्ता देय होगा। प्रशिक्षण शिविर हेतु नियुक्त टीम मैनेजर एवं टीम प्रशिक्षक को मानदेय (पारिश्रमिक) स्वरूप रू 750–00 (सात सौ पचास रूपये) प्रतिदिन देय होगा एवं इसके साथ निवास स्थान से विश्वविद्यालय आने जाने का टी0ए0 एवं भोजन हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार डी0ए0 भी देय होगा। यदि प्रशिक्षक दूर से आते है तो उनके ठहरने का खर्च क्रीड़ा–परिषद् द्वारा वहन किया जायेगा।

विश्वविद्यालय टीम मैनेजरों का दायित्व

विभिन्न अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम के साथ जाने वाले मैनेजरों और कोचों की नियुक्ति क्रीड़ा–परिषद् सभी इकाइयों के प्राध्यापकों में से उस खेल में विशेष अनुभव रखने के आधार पर करेगी। परिषद् के सदस्यों को अनुभव के आधार पर वरीयता दी जायेगी। टीम मैनेजर को टीम के आने–जाने का अनुमानित व्यय, रेलवे कन्सेशन (यदि सुलभ हो) योग्यता प्रपत्र आदि सचिव, क्रीड़ा–परिषद् से प्रस्थान पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा। टीम मैनेजर को प्रतियोगिता से लौटने के एक सप्ताह के भीतर खेल और खिलाड़ियों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट के साथ व्यय का पूरा विवरण (बिल व वाउचरों के साथ) सचिव, क्रीड़ा–परिषद् को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

यात्रा प्रारम्भ के पूर्व सभी खिलाड़ियों के परिचय पत्र पर सचिव, क्रीड़ा–परिषद् का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए और विश्वविद्यालय टीम के मैनेजर के रूप में प्रतियोगिता के आयोजन सचिव के नाम परिचय पत्र सचिव, क्रीड़ा–परिषद् से अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता, यूनिफार्म (किट) और ट्रैक सूट देने पर उनसे प्राप्ति का अलग–अलग कागज पर हस्ताक्षर अवश्य प्राप्त करा लेना चाहिए। जो सामान क्रीड़ा–परिषद् को वापस किया जाना है, उसकी जिम्मेदारी मैनेजर की ही होगी। वापस किये जाने

वाले समान जैसे सभी खेलों के बाल (वालीबाल, हैण्डबाल, बास्केटबाल, फुटबाल, क्रिकेट बाल और हॉकी बाल आदि।), हॉकी गोलकीपर किट, शूज, स्टाप वाच एवं विश्वविद्यालय का झण्डा और अन्य सामान।

खिलाड़ियों को अपने महाविद्यालय से विश्वविद्यालय परिसर तक आने –जाने का टी0ए0/डी0ए0 उनके महाविद्यालय से ही प्राप्त होगा। विश्वविद्यालय परिसर से अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के आयोजन स्थल तक का टी0ए0/डी0ए0 क्रीड़ा–परिषद् द्वारा दिया जायेगा। किसी खिलाड़ी के अस्वस्थ होने या चोटिल होने पर आयोजन स्थल के नगर के जिस डॉक्टर से दवा कराई जाय या दुकान से दवा खरीदी जाए, उससे व्यय धनराशि की रसीद भुगतान हेतु अवश्य प्राप्त कर ली जाय, अन्यत्र स्थलों की रसीद मान्य नहीं होगी।

टीम मैनेजर और कोच अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के आयोजन–सचिव से अपने पहुँचने और प्रस्थान करने का प्रमाण पत्र (रिलिविंग सर्टीफिकेट) अनिवार्य रूप से प्राप्त कर अपने टी0ए0/डी0ए0 बिल के साथ अवश्य संलग्न करें। स्मरण रहे कि टीम का मैच जिस दिन समाप्त हो जाए, उसके चौबिस घण्टे के भीतर वापसी यात्रा शुरू कर दें। अधिक दिनों तक बिना किसी अकाट्य कारण के रूकने पर मैनेजर, कोच और सभी खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता और मानदेय देय नहीं होगा।

अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार

(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 26–10–2017)

क्रीड़ा–परिषद् द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप उत्तर क्षेत्रीय, अन्तर्क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं की टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर निम्नानुसार धनराशि देय होगी–

एकल स्पर्धा/व्यक्तिगत स्पर्धा

1	प्रथम स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	रू 21,000–00 प्रति खिलाड़ी
2	द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	रू 15,000–00 प्रति खिलाड़ी
3	तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	रू 10,000–00 प्रति खिलाड़ी

टीम स्पर्धा

1	उत्तरी क्षेत्र में विजेता टीम के सदस्य होने पर	रू 7000–00 प्रति खिलाड़ी
2	उत्तरी क्षेत्र में उप विजेता टीम के सदस्य होने पर	रू 5000–00 प्रति खिलाड़ी
3	उत्तरी क्षेत्र में तृतीय स्थान प्राप्त टीम के सदस्य होने पर	रू 3000–00 प्रति खिलाड़ी
4	अखिल भारतीय स्तर या अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में विजेता होने पर या प्रथम स्थान प्राप्त होने पर	रू 10000–00 प्रति खिलाड़ी
5	अखिल भारतीय स्तर या अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में उप विजेता होने पर या द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर	रू 7000–00 प्रति खिलाड़ी

6	अखिल भारतीय स्तर या अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त होने पर या तृतीय स्थान प्राप्त होने पर	रू 5000–00 प्रति खिलाड़ी

अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाली टीम के टीम मैनेजर एवं कोच को पुरस्कार *(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 12–11–2019)*

1	उत्तरी क्षेत्र में विजेता टीम के टीम कोच एवं टीम मैनेजर होने पर	रू 7000–00 प्रति
2	उत्तरी क्षेत्र में उप विजेता टीम के टीम कोच एवं टीम मैनेजर होने पर	रू 5000–00 प्रति
3	उत्तरी क्षेत्र में तृतीय स्थान प्राप्त टीम के टीम कोच एवं टीम मैनेजर होने पर	रू 3000–00 प्रति
4	अखिल भारतीय स्तर या अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में विजेता टीम के	रू 10000–00 प्रति
5	अखिल भारतीय स्तर या अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में विजेता होने पर	रू 7000–00 प्रति
6	अखिल भारतीय स्तर या अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में विजेता होने पर	रू 5000–00 प्रति

विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं हेतु टीम के खिलाड़ियों की संख्या *(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 26–10–2017)*

क्रीड़ा–परिषद् निम्नलिखित अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी। परिस्थितियों एवं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। अन्तर्महाविद्यालयीय व अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं हेतु निम्नांकित निर्धारित संख्या में विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा–

क्र.सं.	खेल	खिलाड़ियों की संख्या	क्र.सं.	खेल	खिलाड़ियों की संख्या
1	वालीबाल (पु0)	12	35	जूडो (म0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी
2	वालीबाल (म0)	12	36	शूटिंग (पु0)	8
3	खो–खो (पु0)	12	37	शूटिंग (म0)	8
4	खो–खो (म0)	12	38	योगा (पु0)	6
5	कबड्डी (पु0)	12	39	योगा (म0)	6
6	कबड्डी (म0)	12	40	आर्चरी (पु0)	12
7	हैण्डबाल (पु0)	16	41	आर्चरी (म0)	12
8	हैण्डबाल (म0)	16	42	बेसबाल (पु0)	12
9	फुटबाल (पु0)	16	43	बेसबाल (म0)	12
10	फुटबाल (म0)	16	44	बाक्सिंग (पु0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी
11	क्रिकेट (पु0)	16	45	बाक्सिंग (म0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी
12	क्रिकेट (म0)	16	46	साइक्लिंग रोड (पु0)	AIU मानक के अनुसार
13	बास्केटबॉल (पु0)	12	47	साइक्लिंग रोड (म0)	AIU मानक के अनुसार
14	बास्केटबाल (म0)	12	48	फेंसिंग (पु0)	AIU मानक के अनुसार
15	हॉकी (म0)	16	49	फेंसिंग (म0)	AIU मानक के अनुसार
16	हॉकी (पु0)	16	50	किक बाक्सिंग (पु0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी
17	बैडमिन्टन (पु0)	7	51	किक बाक्सिंग (म0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी

18	बैडमिन्टन (म0)	5	52	पॉवर लिफ्टिंग(पु0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी
19	टेबुल टेनिस (पु0)	5	53	पॉवर लिफ्टिंग(म0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी
20	टेबुल टेनिस (म0)	4	54	नेटबाल (पु0)	12
21	शतरंज (पु0)	6	55	नेटबाल (म0)	12
22	शतरंज (म0)	6	56	साफ्टबाल (पु0)	12
23	एथलेटिक्स (पु0)	AIU (Sports Division) मानक के अनुसार प्रत्येक इवेण्ट में 2 खिलाड़ी	57	साफ्टबाल (म0)	12
24	एथलेटिक्स (म0)	AIU (Sports Division) मानक के अनुसार प्रत्येक इवेण्ट में 2 खिलाड़ी	58	वेट लिफ्टिंग (पु0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी
25	कुश्ती (पु0) ग्रीको रोमन	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी	59	वेट लिफ्टिंग (म0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी
26	कुश्ती (पु0) फ्री स्टाइल	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी	60	जिमनास्टिक (पु0)	7
27	कुश्ती (म0) फ्री स्टाइल	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी	61	जिमनास्टिक (म0)	7
28	तैराकी (पु0)	प्रत्येक स्टाइल में दो खिलाड़ी	62	कराटे (पु0)	AIU मानक के अनुसार
29	तैराकी (म0)	प्रत्येक स्टाइल में दो खिलाड़ी	63	कराटे (म0)	AIU मानक के अनुसार
30	क्रास कन्ट्री (पु0)	6	64	क्वान कि डो (पु0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी
31	क्रास कन्ट्री (म0)	6	65	क्वान कि डो (म0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी
32	ताइक्वाण्डो (पु0)	प्रत्येक वजन एवं टीम के अनुसार	66	सिक्स ए साइड क्रिकेट (पु0)	16
33	ताइक्वाण्डो (म0)	प्रत्येक वजन एवं टीम के अनुसार	67	सिक्स ए साइड क्रिकेट (म0)	16
34	जूडो (पु0)	प्रत्येक वजन मे एक खिलाड़ी			

नोट– उपर्युक्त खिलाड़ियों की संख्या संबंधित खेल फेडरेशन एवं AIU नियमानुसार परिवर्तनीय होगी।

विभिन्न खेलों के लिए निर्धारित यूनीफार्म (किट)

क्र.सं.	खेल का नाम	यूनीफार्म (किट)
1	वालीबाल	बनियाइन, जॉघियॉ, नी कैप
2	खो–खो	बनियाइन, जॉघियॉ और मोजा
3	कबड्डी	बनियाइन, जॉघियॉ, मोजा और नी कैप
4	हैण्डबाल	बनियाइन, जॉघियॉ और मोजा
5	फुटबाल	स्पोर्ट्स शर्ट, हॉफ पैण्ट, फुटबाल बूट, इन्कलेट और गोल कीपर के लिए हैण्ड ग्लब्स
6	क्रिकेट	सफेद शर्ट, सफेद फुल पैण्ट, पुलोवर
7	बास्केटबॉल	बनियाइन, लांग हॉफ पैण्ट और मोजा
8	हॉकी	जर्सी, हॉफ पैण्ट, मोजा
9	बैडमिन्टन (पु0)	रंगीन शर्ट, सफेद हॉफ पैण्ट और मोजा
10	बैडमिन्टन (म0)	रंगीन शर्ट, सफेद स्कर्ट और मोजा
11	टेबुल टेनिस (पु0)	रंगीन शर्ट, सफेद हॉफ पैण्ट और मोजा
12	टेबुल टेनिस (म0)	रंगीन शर्ट, सफेद स्कर्ट और मोजा

13	शतरंज	शर्ट, सफेद फुल पैण्ट और मोजा
14	एथलेटिक्स	बनियाइन, जॉघियॉ, वार्म अप शूज, स्पाइक, और मोजा
15	कुश्ती	कुश्ती कांस्ट्यूम और मोजा
16	तैराकी	स्वीमिंग कांस्ट्यूम और कैप
17	क्रास कन्ट्री	बनियाइन, जॉघियॉ वार्म अप शूज, स्पाइक, और मोजा
18	ताइक्वाण्डो	ताइक्वाण्डो ड्रेस
19	जूडो	जूडो ड्रेस
20	शूटिंग	शूटिंग ड्रेस
21	योगा	योगा कांस्ट्यूम
22	आर्चरी	आर्चरी कांस्ट्यूम
23	बेसबाल	बेसबाल कैप सफेद शर्ट, सफेद फुल पैण्ट पुलोवर।
24	बाक्सिंग	बॉक्सिंग सेट
25	साइक्लिंग रोड	साइक्लिंग किट
26	फेंसिंग	फेंसिंग किट
27	किक बाक्सिंग	किक बाक्सिंग सेट
28	पॉवर लिफ्टिंग	पॉवर लिफ्टिंग कांस्ट्यूम
29	नेटबाल	बनियाइन, लांग हॉफ पैण्ट और मोजा
30	साफ्टबाल	बनियाइन, लांग हॉफ पैण्ट और मोजा
31	वेट लिफ्टिंग	वेट लिफ्टिंग कांस्ट्यूम
32	जिमनास्टिक	जिमनास्टिक कांस्ट्यूम
33	कराटे	कराटे कांस्ट्यूम
34	क्वान कि डो	क्वान कि डो कांस्ट्यूम
35	सिक्स ए साइड क्रिकेट	सफेद शर्ट, सफेद फुल पैण्ट, पुलोवर

नोट– संबंधित खेल के फेडरेशन द्वारा यूनीफार्म (किट) के प्रारूप में परिवर्तन करने पर परिवर्तनीय होगा।

उपर्युक्त टीमों के खिलाड़ियों को किट के अतिरिक्त ट्रैक–सूट भी दिया जायेगा जिसमें प्रत्येक टीम के साथ जाने वाले टीम मैनेजर, टीम कोच एवं सहायक भी सम्मिलित हैं।

क्रीड़ा–परिषद् ई–टेण्डर, जेम पोर्टल या टेण्डर प्रक्रिया द्वारा उपर्युक्त सामानों का क्रय उस सत्र के माह जुलाई एवं अगस्त तक सुनिश्चत कर लेगा ताकि समय से प्रतिभागियों को उक्त समानों की आपूर्ति की जा सके। उक्त प्रक्रिया क्रीड़ा–परिषद् द्वारा गठित क्रय समिति के माध्यम से सामानों की गुणवत्ता के आधार पर होगी।

अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता हेतु क्वालीफाई करने पर विश्वविद्यालय मोनोग्राम युक्त एक ब्लेजर के साथ यूनीफार्म (किट), ट्रैक–सूट अथवा क्रिकेट किट पुनः प्रदान की जाएगी।

विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता हेतु आयोजन सचिव

यदि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ द्वारा क्रीड़ा–परिषद् को क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय अन्तर्विशविद्यालयीय प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व सौंपा जाता है तो परिषद् अपनी बैठक कर

प्रतियोगिता के आयोजन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यक्रम निर्धारित करेगी। आयोजन सचिव का दायित्व सचिव, क्रीड़ा–परिषद्/उप सचिव, क्रीड़ा–परिषद् को दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में उसकी अस्वीकृति की दशा में परिषद् किसी भी सदस्य को यह दायित्व सौंप सकती है। प्रतियोगिता के सुचारू संचालन सम्बन्धी व्यवस्था के दृष्टिगत परिषद् अपने सदस्यों के अतिरिक्त सम्बद्ध इकाइयों के प्राध्यापकों, कर्मचारियों तथा सम्बद्ध क्षेत्र के अन्यान्य कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों को प्रतियोगिता सम्बन्धी विभिन्न दायित्व सौंप सकती है। उक्त कार्य हेतु अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में निर्धारित मानदेय देय होगा। चूँकि यह प्रतियोगिता सम्पूर्ण विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित की जायेगी, अतः अध्यक्ष (कुलपति) की अनुमति आवश्यक होगी।

नोट :– क्रीड़ा–परिषद् द्वारा समय–समय पर खेल सम्बन्धी पारित किए गए नियमों को इस संविधान का ही एक अंग माना जायेगा, जिसका पालन सभी सम्बद्ध इकाइयों द्वारा अनिवार्य होगा। क्रीड़ा–परिषद् कार्यालय से कोई भी पत्रावली चलने का अनुक्रम कार्यालय का कर्मचारी, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष/वित्त अधिकारी एवं अध्यक्ष/कुलपति होगा। संविधान–संशोधन समिति, तकनीकी समिति व परिषद् के माध्यम से आवश्यकतानुसार संविधान संशोधित किया जा सकेगा।

वाह्य निकायों द्वारा प्रतियोगिताओं का प्रायोजन–

अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं के परिप्रेक्ष्य में आयोजक महाविद्यालय तथा अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं के सन्दर्भ में क्रीड़ा–परिषद् वाह्य निकायों द्वारा प्रतियोगिताओं को प्रायोजित करा सकती है। प्रायोजन नकद धनराशि, सामानों अथवा पुरस्कार के रूप में किया जा सकता है। प्रायोजित धनराशि सम्बन्धित महाविद्यालय इकाई अथवा क्रीड़ा–परिषद् की आय के रूप में दर्शायी जायेगी तथा यह पूरी प्रक्रिया संप्रेक्षण नियमों के अधीन होगी।

अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आयोजक महाविद्यालय को क्रीड़ा–परिषद् द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने की धनराशि– *(क्रीड़ा–परिषद् की बैठक दिनांक : 26–10–2017 एवं 26–10–2018)*

अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता के आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य को उस खेल हेतु स्वीकृत धनराशि निम्नलिखित शर्तों के साथ देय होगी–

1. संबंधित खेल के आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य को उस खेल हेतु स्वीकृत सहायता धनराशि प्रतियोगिता से पूर्व भेज दी जायेगी।
2. आपूर्ति की गयी धनराशि का वित्तीय समायोजन महाविद्यालय को प्रतियोगिता समाप्ति के विलम्बतम 30 दिनों के अन्दर (वित्त अधिकारी को सन्दर्भित) सचिव, क्रीड़ा–परिषद् को प्रस्तुत करनी होगी।
3. प्राचार्य व्यय की गयी धनराशि के विभिन्न बिल/वाउचर की छायाप्रति को प्रमाणित करते हुए मूल समायोजन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

4. सचिव, क्रीड़ा–परिषद् इस प्रकार के प्राप्त समायोजनों को अग्रसारित कर वित्त अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
5. समायोजन न देने वाले आयोजक महाविद्यालय को अगले सत्र में आवंटित खेल प्रतियोगिता हेतु स्वीकृत सहायता धनराशि नहीं दी जायेगी और अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा।

क.सं.	खेल का नाम	धनराशि (रू में)	क.सं.	खेल का नाम	धनराशि (रू में)
1	वालीबाल (म0)	10000–00	22	बास्केटबाल (म0)	10000–00
2	तैराकी (पु0+म0)	20000–00	23	बास्केटबॉल (पु0)	10000–00
3	खो–खो (पु0)	20000–00	24	क्रिकेट (पु0)	50000–00
4	क्रास कन्ट्री (पु0+म0)	20000–00	25	टेबुल टेनिस (पु0+म0)	10000–00
5	शतरंज (पु0+म0)	10000–00	26	बॉक्सिंग (पु0+म0)	10000–00
6	कबड्डी (म0)	20000–00	27	किक बॉक्सिंग (पु0+म0)	10000–00
7	ताइक्वाण्डो (पु0+म0)	10000–00	28	हॉकी (पु0)	10000–00
8	पावर लिफ्टिंग(पु0+म0)	10000–00	29	हॉकी (म0)	10000–00
9	वेट लिफ्टिंग(पु0+म0)	10000–00	30	शूटिंग (पु0+म0)	**10000**–00
10	हैण्डबाल (म0)	10000–00	31	बैडमिन्टन (पु0+म0)	20000–00
11	हैण्डबाल (पु0)	10000–00	32	योगा (पु0+म0)	**10000**–00
12	वालीबाल (पु0)	20000–00	33	बेसबाल (पु0+म0)	10000–00
13	क्रिकेट (म0)	10000–00	34	साइक्लिंग रोड (पु0+म0)	10000–00
14	एथलेटिक्स (पु0+म0)	75000–00	35	फेंसिंग (पु0+म0)	10000–00
15	कुश्ती (पु0+म0)	10000–00	36	नेटबाल (पु0+म0)	10000–00
16	खो–खो (म0)	20000–00	37	साफ्टबाल (पु0+म0)	10000–00
17	जूडो (पु0+म0)	10000–00	38	जिमनास्टिक (पु0+म0)	10000–00
18	फुटबाल (पु0)	20000–00	39	कराटे (पु0+म0)	10000–00
19	आर्चरी (पु0+म0)	**10000**–00	40	क्वान कि डो (पु0+म0)	10000–00
20	कबड्डी (पु0)	20000–00	41	सिक्स ए साइड क्रिकेट (पु0+म0)	10000–00
21	फुटबाल (म0)	10000–00		कुल योग	**6,05,000**

नोट– 1. उपरोक्त निश्चित धनराशि क्रीड़ा–परिषद् द्वारा परिवर्तनीय होगी।
2. उपर्युक्त खेलों के अतिरिक्त किसी अन्य खेल को स्पोर्ट्स कैलेण्डर में सम्मिलित करने हेतु क्रीड़ा–परिषद् की अनुमति आवश्यक होगी।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में खेल कोटे के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु नियमावली–

1. उन सभी खेलों के खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जायेगा जो अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय एवं खेल संघ द्वारा आयोजित किये जाते हैं।
2. ऐसे छात्रों को सम्मिलित किया जायेगा जो अखिल भारतीय/उत्तर क्षेत्रीय विश्वविद्यालयीय स्तर पर प्रतिभाग करने की अर्हता रखते हो।
3. ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर/जूनियर स्तर की प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो।
4. ऐसे खिलाड़ी भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में उत्तर क्षेत्रीय स्तर पर सीनियर /जूनियर स्तर की प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो।
5. ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किये हो।
6. ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किये हो।
7. ऐसे खिलाड़ी जो स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इण्डिया (एस0जी0एफ0आई0) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किये हो।
8. ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट में रणजी, इण्डिया ए एवं बी इण्डिया ब्लू, रेड ग्रीन मे प्रतिभाग किये हो।
9. भारत सरकार के खेलो इण्डिया में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किये हो।
10. किसी भी पाठ्यक्रम के कुल सीटों के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत सीट निःशुल्क मान्य होगी। यदि निःशुल्क खिलाडियों की संख्या 10 प्रतिशत से ज्यादा हो रही हो है तो ऐसी दशा में कम आयु वाले अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं व्यक्तिगत खेलों के खिलाड़ियों को प्रथम वरीयता दी जायेगी।
11. ऐसे खिलाड़ी जो भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार द्वारा दिये जाने वाले खेल पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है तो उनको उपरोक्त आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।
12. AIU के अर्हता के नियमानुसार ही खिलाड़ी उस सत्र में निःशुल्क प्रवेश हेतु अर्ह होंगे, अर्थात यदि खिलाड़ी किसी कक्षा में प्रथम वर्ष में AIU के नियमानुसार अर्हता रखता है तो उसका प्रवेश निःशुल्क होगा एवं द्वितीय वर्ष या अगली कक्षाओं में सःशुल्क प्रवेश देय होगा।
13. ऐसे खिलाड़ी जो सत्र के बीच में निःशुल्क प्रवेश की अर्हता प्राप्त करते है उनको अगले वर्ष से ही निःशुल्क प्रवेश दिया जा सकता है।
14. सभी खिलाडियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा व खेल कौशल के आधार पर चयनित किया जायेगा।
15. ऐसे खिलाड़ियों की शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागों को क्रीड़ा–परिषद् के मद से किया जायेगा।
16. अन्य किसी बिन्दु पर विचार माननीय कुलपति महोदय द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।